राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1782/2021
माना राम मीणा

–अपीलार्थी

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, कार्मिक विभाग (ग्रुप–II), राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।
4. श्री भंवर सिंह मेडितिया, पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी, जरिये निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।
5. श्री ओमप्रकाश जोशी, पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारी, जरिये निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, लाल कोठी, टोंक रोड, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 02.01.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री राकेश शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

<u>आदेश</u>

1. इस अपील में अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 30.03.2021 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई है। अपीलार्थी ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 25.03.1988 को हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी को वरिष्ठ लिपिक के पद पर आदेश दिनांक 05.04.2003 के द्वारा पदोन्नति दी गई, जो पदोन्नति अपीलार्थी को वर्ष 1998–99 की रिक्तियों के विरूद्ध दी गई। तत्पश्चात अपीलार्थी को कार्यालय सहायक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2013–14 की रिक्तियों के विरूद्ध आदेश दिनांक 26.09.2013 के द्वारा प्रदान की गई। निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को कार्यालय सहायक के पद पर वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई थी। अपीलार्थी को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के

विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई और निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को अति. प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2018–19 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि पूर्व में प्रशासनिक अधिकारी का एक ही पद था, जो योग्यता के आधार पर भरा जाता था। इसके पश्चात प्रशासनिक अधिकारी के पदों को एक से बढ़ाकर पांच किया गया, जिसकी स्वीकृति दिनांक 03.11.2017 को प्राप्त हुई। वर्ष 2018–19 एवं 2019–20 तक विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषा पर पदोन्नत प्रशासनिक अधिकारियों के नाम वरियता सूची में सम्मिलित करते हुए दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार विभाग में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी के अस्थायी वरियता सूची दिनांक 25.02.2020 जारी की गई। आदेश दिनांक 18.03.2020 को अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों की अंतिम वरियता सूची जारी की गई, जिसमें दिनांक 01.04.2019 की स्थिति की वरियता दर्शायी गई, जिस सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 5 पर था। प्रशासनिक अधिकारियों के पद की डीपीसी आयोजन करने बाबत शिथिलता हेतु प्रस्ताव भेजा गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं किया गया, जिस पर अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अति. प्रशासनिक अधिकारी की अंतिम वरियता सूची दिनांक 09.09.2020 जारी की गई, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 2 पर व निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 का नाम क्रम संख्या 7 व 8 पर दर्शाया गया। इस प्रकार अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 से वरिष्ठ था। अपीलार्थी ने पुनः एक अभ्यावेदन दिनांक 26.02.2021 को प्रेषित किया, जिसमें यह अंकित किया कि प्रचलित रोस्टर प्रणाली के आधार पर नियमानुसार पदोन्नति का लाभ प्रदान किया जाये। इसी प्रकार का अभ्यावेदन अपीलार्थी ने दिनांक 03.03.2021 को भी प्रेषित किया। डीपीसी दिनांक 14.02.2021 को आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के पद के लिए दीपक कुमार आम्बेरिया, प्रेम कुमार व्यास, भंवर सिंह मेडितिया, माना राम मीणा एवं सुरेश खटक को चुना गया, परंतु डीपीसी की अनुशंषा को लागू करने से पूर्व रिव्यू डीपीसी दिनांक 03.03.2021 को आयोजित की गई, जिसमें वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक अधिकारी के पद पर अपीलार्थी के स्थान पर अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति निजी प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी अनुसूचित जनजाति श्रेणी का व्यक्ति है, जिसको अनुसूचित जनजाति के पद विरूद्ध 100 पोइंट रोस्टर के आधार पर

9 वा पोइंट अनुसूचित जनजाति का होने से पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए थी। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क रहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के कुल 5 पद है और जहां 8 या 8 से कम पदों पर पदोन्नति होती है, वहां पर Theory of replacement लागू नहीं होगा वरन कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20.11.1997 के अनुसार एल शेप रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जानी चाहिए। उनका यह भी तर्क रहा है कि राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 13.09.2013 को इस संबंध में पत्र जारी किया है और निर्देश दिया है कि 8 या 8 से कम पदों की स्थिति में एल शेप रोस्टर में रोस्टर की कार्यवाही की जाये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि वर्तमान प्रकरण में एल शेप लागू नहीं किया गया है और आलौच्य आदेश के जरिये 5 व्यक्तियों को आलोच्य आदेश दिनांक 30.03.2021 के जरिये प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई, वे सभी सामान्य श्रेणी के व्यक्ति थे, जिनमें से दो व्यक्ति भंवर सिंह मेडितिया व ओम प्रकाश जोशी अपीलार्थी से कनिष्ठ है। अपीलार्थी को एल शेप रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जानी चाहिए।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 30.03.2021 द्वारा रोस्टर एवं वरियता के आधार पर आदेश दिनांक 30.03.2021 के द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश जारी किये गये। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 25.03.1988 है। जबकि भंवर सिंह मेडतिया की प्रथम नियुक्ति दिनांक 14.11.1984 है एवं ओम प्रकाश जोशी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 08.04.1985 है। इस प्रकार अपीलार्थी दोनो अधिकारियों से कनिष्ठ है। अपीलार्थी को कनिष्ठ होते हुये भी वरिष्ठ लिपिक के पद पर वर्ष 1998–99 में कार्यालय सहायक के पद पर 2013–14 एवं अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2017–18 में रोस्टर के आधार पर पदोन्नति दी गई है। जबकि इनसे वरिष्ठ भंवर सिंह मेडतिया को वरिष्ठ लिपिक के पद पर 2000–2001 में एवं कार्यालय सहायक के पद पर मेडतिया एवं जोशी को वर्ष 2015–16 में एवं अतिरिक्त प्रशासनिक के पद पर वर्ष 2018–19 में पदोन्नति दी है। प्रशासनिक अधिकारी के पद पर रोस्टर बिन्दू की रिक्ती उपलब्ध नहीं होने के कारण अपीलार्थी को रोस्टर के आधार पर पदोन्नत नहीं किया गया तथा वरिष्ठता में अपीलार्थी इनसे कनिष्ठ है। कार्मिक विभाग की राय के अनुसार आरक्षित वर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति स्वंय की मेरिट के आधार पर

अनारक्षित पदो की रिक्तियों के विरूद्ध हुयी थी तो उसका समायोजन आरक्षित वर्गो के अभ्यांश में नही होगा। लेकिन यदि कार्मिको द्वारा किसी भी स्तर पर आरक्षण का लाभ लिया गया है तो उसका समायोजन आरक्षित वर्गों के अभ्यांश के विरुद्ध किया जावेगा। कमल कुमार मीणा जिनकी कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यग्रहण तिथि 24.04.1980 है एवं अब्दुल सलीम कुरेशी की कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्य ग्रहण तिथि 19.07.1979 है, कुरेशी वरिष्ठ है परन्तु कमल कुमार मीणा की वरिष्ठ लिपिक के पद पर आरक्षित वर्ग के विरुद्ध दिनांक 20.03.1991 को पदोन्नति हुयी है। जबकि कुरेशी की दिनांक 05.09.1991 को इसी प्रकार कार्यालय सहायक के पद पर आरक्षित पद के विरूद्ध मीणा को पदोन्नति वर्ष 2004–2005 में एवं कुरेशी को अनारक्षित वर्ग के विरूद्ध वर्ष 2011–12 में पदोन्नति हुई है तथा अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पद पर कमल कुमार मीणा की वर्ष 2011–12 में एवं कुरेशी की वर्ष 2015–16 में पदोन्नति हुई है। कमल कुमार मीणा की प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति वर्ष 2016–17 में सामान्य वर्ग के विरूद्ध हुई थी जो कि मूल पद की वरिष्ठता में कनिष्ठ थे इनके द्वारा आरक्षित वर्ग का लाभ पूर्व मं लिया जा चुका है, अतः इनका समायोजन आरक्षित वर्ग के अभ्यांश के बिन्दू संख्या 9 पर किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी मूल वरिष्ठता में भंवर सिंह मेडतिया एवं ओम प्रकाश जोशी से कनिष्ठ होने एवं आरक्षित वर्ग की रिक्ती उपलब्ध नही होने के कारण अपीलार्थी को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर वर्ष 2020–21 में पदोन्नत नहीं किया है।

3. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। इस अपील में अपीलार्थी ने मुख्य रूप से आदेश दिनांक 30.03.2021 को इस आधार पर चुनौती दी है कि प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति में एल शेप रोस्टर लागू नहीं किया गया। अपीलार्थी ने यह तर्क भी दिया है कि पदोन्नति आदेश दिनांक 30.03.2021 जारी होने के पश्चात एक अभ्योवदन प्रत्यर्थी विभाग में प्रस्तुत किया है, जो अनुलग्नक–10 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने निवेदन किया है कि रोस्टर प्रणाली के आधार पर 9 वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होने के पश्चात भी अपीलार्थी को पदोन्नति से वंचित रखा गया है। अपीलार्थी ने अभ्यावेदन में यह मांग की है कि वर्ष 2020–21 की प्रशासनिक अधिकारी के पद की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दिलाई जाये। यह प्रकट नहीं हुआ है कि अपीलार्थी द्वारा दिया गया अभ्यावेदन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निर्णीत किया गया हो।

4. इस प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा जो अभ्यावेदन (अनुलग्नक–10) दिनांक 03.09.2021 को प्रस्तुत किया गया था, उसे प्रत्यर्थी विभाग कार्मिक विभाग के पत्र दिनांक 13.09.2013 (अनुलग्नक–15) को दृष्टिगत रखते हुए लिखित आदेश के द्वारा निर्णीत करें एवं आदेश की सूचना अपीलार्थी को भेजी जाये। यदि अभ्यावेदन के निस्तारण में यह पाया जाता है कि अपीलार्थी एल शेप रोस्टर प्रणाली के अनुसार पदोन्नति प्राप्त करने का अधिकारी है तो अपीलार्थी के संबंध में वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के लिये विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक पुनः आयोजित की जाये एवं अपीलार्थी को यदि वर्ष 2020–21 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति के लिए पात्र पाया जाता है तो उसे पदोन्नति एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किए जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)